न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 231/2008 RCMS 2008/00092

वादीगण :–

1. **मेवाराम पुत्र लादूराम जाट निवासी पालड़ी तह. कुचामन (फौत) के कायम मुकाम :–**
   1/1–सोनकी देवी पत्नि मेवाराम
   1/2–बजरंगलाल पनुत्र मेवाराम
   1/3–बालाराम पुत्र मेवाराम
   1/4–राजूराम पुत्र मेवाराम
   1/5–सन्तोष पुत्री मेवाराम
2. भंवरलाल पुत्र मंगनाराम जाति जाट निवासी पालड़ी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. पूसाराम पुत्र बोदूराम गुर्जर निवासी पालड़ी
2. **रामेश्वर पुत्र बोदूराम गुर्जर (फौत) के कायम मुकाम :– निवासी पालड़ी**
   2/1– नानूड़ी पत्नि रामेश्वर
   2/2– भंवरलाल पुत्र रामेश्वर
   2/3– ईशवरराम पुत्र रामेश्वर
   2/4– नरसीराम पुत्र रामेश्वर
   2/5– मनीदेवी पुत्री रामेश्वर
3. बनाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
5. उप पंजियक कुचामनसिटी
6. कमलादेवी पित्न घनश्याम अग्रवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर
7. रीना पत्नि योगेश कुमार अग्रवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर

दावा– इस्तकरार हक भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T.Act 1955

उपस्थित :–श्री राजेा गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री रामेवरलाल नेहरा प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

श्री रणवीर कुमावत एवं श्री पुश्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रति. 2/1 से 2/5 की ओर से।

श्री देवीसिंह अधिवक्ता प्रति. 6, 7 की ओर से।

निर्णय

Signature Not Verified

दिनॉक :– 28/8/2023

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 स्व. लादूराम के वंशज [illegible]नदान निम्नवत है :–

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

लादूराम (मृत)

मगनाराम (मृत) | बनाराम | मेवाराम

भंवरलाल

ग्राम पालड़ी पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 36 रकबा 60 बीघा 19 बिस्वा लादूराम जी के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारो की रही है, सम्वत 2020 के पूर्व उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि पर उनके पुत्र मगनाराम, बनाराम, मेवाराम बहैसियत उत्तराधिकारी खातेदार काबिज हुए, उक्त भूमि मे से नावां–कुचामन को जाने वाली सड़क बनने से उक्त भूमि में से 4 बीघा 13 बिस्वा कम हो गई तथा शेष रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा तीनो भाईयों के नाम सम्वत 2045 तक सम्मिलित खातेदारी दर्ज होता रहा है, मौके पर तीनो भाईयो ने आपसी सुविधा से पारिवारिक बंटवारा करीब 40 वर्षो पूवर्च कर मौके पर अलग अलग काश्त करने लग गए, पश्चिमी तरफ की भूमि मगनाराम के कब्जा व बंट में रही तथा बीच की भूमि मेवाराम के कब्जा काश्त में व पूर्वी तरफ की भूमि बनाराम के कब्जा काश्त में रही, उक्त सड़क निकलने से तीनो भाईयो की भूमि सड़क के उत्तरी तरफ व सड़क के दक्षिणी तरफ रही, सड़क से उत्तरी तरफ की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 15 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.36 हैक्टर तथा सड़क के दक्षिणी तरफ की जमीन के नवीन खसरा नम्बर 63, 64, 65, 66 कायम हुए, पारिवारिक बंटवारा स्वरूप नवीन खसरावार निम्न माफिक भौतिक कब्जा काश्त तीनो भाईयों का रहा :–

भंवरलाल पुत्र मगनाराम के कब्जा काश्त में		वादी मेंवाराम के कब्जा काश्त में		प्रति. बनाराम के कब्जा काश्त में	
नवीन ख. न.	रकबा	नवीन ख. न.	रकबा	नवीन ख. न.	रकबा
15	0.12 है.	16	0.21 है.	17	0.36 है.
63	0.01 है.	65	2.94 है.	66	2.70 है.
64	3.10 है.	—	—	—	—
कुल रकबा	**3.23 है.**	**कुल रकबा**	**3.15 हैक्टर**	**कुल रकबा**	**3.06 हैक्टर**

मगनाराम ने अपने बंट में नया कुआ स्वयं के खर्चे से करीब 30 वर्ष पूर्व बना लिया था जिस पर उनके भाईयो का कोई हक व अधिकार नही रहा है, मगनाराम जी के स्वर्गवासोपरान्त उक्त भूमि पर उनके वारिस वादी भंवरलाल उपर्युक्त खसरा नम्बर 15, 63, 64 की सर्म्पूण भूमि पर काबिज चला आ रहा है, वादी भंवरलाल का कुआ खसरा नम्बर 63 के पश्चिमी तरफ रहवासी ढ़ाणी पक्के मकानात बनाए हुए है, जहॉ वह सपरिवार रह रहा है तथा कुए निर्माण के वक्त बालाजी महाराज का स्थान बनाया हुआ है जहॉ अभी अलग से स्वयं भजन हेतु मंदिर निजी बनवा रखा है तथा खसरा नम्बर 63, 64, 65 पर वादी [illegible] हक व अधिकार नही है तथा खसरा नम्बर 16, 65 की भूमि पर मेवाराम का कब्जा नही रहा है तथा खसरा नमबर 17, 66 की सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा नही रहा है उक्त प्रतिवादी बनाराम के कब्जा व बंट में रही है। चूँकि बनाराम द्वारा अपने कब्जा व बंट की भूमि में से सड़क के उत्तरी तरफ की खसरा नम्बर 17 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को कर देने से खरीददार उक्त भूखण्ड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

काबिज है तथा प्रतिवादी बनाराम के कब्जा में अब खसरा नम्बर 66 रकबा 2.70 हैक्टर भूमि है। वादीगण ने अपने कब्जा व बंट की भूमि की अलग तस्दीक करने हेतु हल्का पटवारी को कहा तो उसने मना कर दिया तथा नवीन खसरा नमबर 15, 16 की भूमि प्रतिवादी नं. 1, 2 के खाते में दर्ज होना बताया गया जो कतई गलत है, नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में उनकी गलती से गत खसरा नम्बर 36 की भूमि नवीन खसरा नम्बर 15, 16 के भूखण्ड को गत खसरा नम्बर 9 का भाग दर्शाते हुए बिना किसी अधिकार व कब्जा के खसरा नम्बर 15, 16 की भूमि प्रतिवादी पूसाराम रामेश्वर के नाम अंकित कर दी, जबकि गत नक्शा व वर्तमान नक्शा शीट के मुताबिक गत खसरा नम्बर 36 में सड़क निकलने के बाद नवीन खसरा नम्बर 15, 16, 17 की भूमि सड़क के उत्तरी तरफ स्थित होना अंकित किया गया है, नवीन खसरा नम्बर 15 की भूमि जो वादी भंवरलाल के बंट की भूमि है में पुण्यार्थियो द्वारा प्याऊ का पक्का निर्माण व हॉज का निर्माण काफी वर्षो पूर्व कर दिया गया जो वर्तमान में कायम है, सड़क के उत्तरी तरफ की गत खसरा नम्बर 36 की उत्तरी सीमा गत भू–प्रबन्ध मे कायम थी वही पर आज दिन मौके पर कायम है तथा अपनी पैतृक कब्जा की उक्त भूमि के उत्तरी तरफ (खसरा नम्बर 15, 16, 17 के) पुरानी डोल वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 द्वारा लगाई हुई कायम है, प्रतिवादी सं. 1, 2 की जमीन खसरा नम्बर 15, 16, 17 के उत्तरी तरफ अवश्य स्थित है लेकिन भू–प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 के कब्जा काश्त की पैतृक भूमि नवीन खसरा नमबर 15, 16 का खाते में बिना किसी आधार व कब्जा के अंकन किया गया, मौके के कब्जा काश्त व अधिकारो के विपरीत अंकन किया गया है, उक्त अवैध अंकन से वादीगण के जायज अधिकारों पर कानूनन कोई विपरित असर नही पड़ सकता। अब उक्त भूमि सड़क सीमा के पास होने से कुछ व्यक्तियों द्वारा वादीगण की कदीमी पैतृक भूमि खसरा नम्बर 15, 16 के गलत खातेदार के अंकन के आधार पर हड़प करने की मंशा से प्रतिवादी सं. 1, 2 को बहकाया जाने लगा है तथा प्रतिवादी नं. 1, 2 द्वारा कहा जाने लगा है कि खसरा नम्बर 15, 16 की भूमि पर वे कब्जा तो नही कर सकते लेकिन ताकतवर व्यक्तियों को बेचान कर वादीगणा को खसरा नम्बर 15, 16 की भूमि से बेदखल करवाकर अपना स्वार्थ सिद्व कर लेंगे। जबकि उनका कभी भी खसरा नम्बर 15, 16 की भूमि में एक इंच पर भी कब्जा काश्त भौतिक रूप से नही रहा, प्रतिवादीगण 1, 2 को वादीगण की भौतिक कब्जा व पैतृक अधिकारों से कब्जा काश्त में होने की पूर्ण जानकारी में रही है। वादीगण का खसरा नम्बर 15, 16 की भूमि पर निरन्तर पूर्वजो से कब्जा काश्त रहा है, नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में एक साजिशी नामा. 16, 20 के जरिए बिना किसी आवेदन के भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा गत खसरा नम्बर 9 के संयुक्त खाता का विभाजन कर अलग अलग खातेदारी देने व वादीगण के कदीमी कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 15, 16 की भूमि के खाते में प्रतिवादीगण 1, 2 नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो स्वतः क्षेत्राधिकार विहिन होने से स्वतः अवैध है तथा उक्त अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण 1, 2 को कोई अधिकार कभी नही मिल सकते, गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार न पहले थे न ही अब है, प्रतिकूल कब्जा के सिद्वान्त भी वादीगण के पक्ष में परिपक्व है.वादीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 15, 16 की खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। वा[illegible] इस्तदुआ है कि ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 15 [illegible] नम्बर 63 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 3.10 हैक्टर जुमले रकबा 3.23 हैक्[illegible] की वादी भंवरलाल व खसरा नम्बर 16 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 2.94 हैक्[illegible] जुमले रकबा 3.15 हैक्टर वादी मेवाराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 66 रकबा 2.70 हैक्टर सम्पूर्ण का प्रतिवादी बनाराम काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं. 1, 2 सादिर फरमाई जावें। खसरा नम्बर 15, 16 के खाते से प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम हटाकर वादीगण के नाम उपर्युक्त माफिक अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को आज्ञा प्रदान करावें। खसरा नम्बर 15 रकबा 0.12 हैक्टर में वादी भंवरलाल के व खसरा नम्बर 16 रकबा 0.21 हैक्टर में वादी मेवाराम के कब्जा काश्त व अधिकारों में प्रतिवादी सं. 1, 2 न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल डाले तथा नही अपने एजेन्टों से डलवाए तथा खसरा नम्बर 15, 16 के बाबत प्रतिवादी सं. 1, 2 किसी प्रकार का हस्तानान्तरण पत्र अन्य के हक में तकमील नही करे व पंजियन नही करावें तथा प्रतिवादी सं. 6 प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा उक्त भूमि के हस्तानान्तरण बाबत प्रस्तुत दस्तावेज को पंजियन हेतु स्वीकार नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादगण सादिर फरमाई जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पूसाराम रामेश्वर की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होकर शामिल उपलब्ध है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही, प्रतिवादी सं. 4, 5 बावजदू इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई प्रतिवादी सं. 2 रामेश्वर की मृत्यु होने से उसके कायम मुकाम प्रतिवादी 2/1 से 2/5 को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया, जिनकी ओर से वकालत नामा प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल किया गया। जिन्हे जवाब का अवसर प्रदान किया गया, जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब अवसर बन्द किया गया। वादी मेवाराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को वादी सं. 1/1 से 1/5 पक्षकार बनाया गया। दौराने सुनवाई प्रतिवादी बनाराम द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि कमलादेवी व रीना को बेचान करने पर वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 01 रूल्स 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई स्वीकार कर उन्हे प्रतिवादी संयोजित किया गया। जिन्होने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया।

प्रतिवादी 1 व 2 ने दिनॉक 8.12.2007 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम पालड़ी के गत खसरा नम्बर 9 मे से 25 बीघा तथा खसरा नम्बर 10 में से 14 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनॉक 03.02.1975 को विक्रेता भोलकी बेवा चौथूराम जाट नि. पलाड़ा से प्रतिवादी सं. 01 के पिता ने व प्रतिवादी सं. 2 ने खरीद कर कीमत प्रतिफल राशि विक्रेता को रोकड़ी प्रदान कर मौके पर भौतिक कब्जा बरोज खरीद ही प्राप्त कर लिया था, तब से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपनी पैतृक एवं खरीद सुदा भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा सरकार में लगान नियमित रूप से अदा करते आये है, गत खसरा नम्बर 9 व 10 के नवीन खसरा नम्बर 13, 15, 16, 18 है जो आज दिन प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कब्जे में एवं खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है, वादीगण का खसरा नम्बर 15, 16 से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है तथा न ही कभी कोई कब्जा काश्त खसरा नम्बर 15, 16 मे रहा है। वादीगण ने मनमर्जी से खसरा नम्बर 15 व 16 [illegible] खसरा नम्बर 36 लिख दिये है जबकि वादीगण को इस बात की भी जानकारी नही है कि [illegible] खसरा नम्बर 15, 16 के गत खसरा नम्बर क्या है ? वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2008–2027 एवं 2046–2065 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2010–2013, 2018–2021, 2026–2029, 2033–2036, 2042–2045, 2050–2053, 2058–2061 एवं पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल दिनॉक 23.06.207 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की नकल गत एवं नवीन, मिलान क्षेत्रफल की नकल, नामा.सं. 16, 20 की नकल, पर्चा लगान की नकल, प्रार्थना–पत्र श्रीमान ए.एस.ओ.साहब नावां को प्रस्तुत 10.10.87 की नकल, बेचान दस्तावेज दिनॉक 5.7.07 की नकल, चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 की प्रस्तुत हुई।

वकील प्रतिवादी पूसाराम रामेश्वर के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रतिवादी रामेश्वर के मृतक की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब अवसर चाहा गया, पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब अवसर बन्द किया गया। मौखिक साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य अवसर भी बंद किया गया।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 9 से नवीन खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 कायम हुए है, गत खसरा नम्बर 36 से नये खसरा नम्बर 17, 63, 64, 65, 66 कायम हुए है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2007 ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 36 रकबा 60 बीघा 19 बिस्वा में लादू वल्द लिछमण जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2010–2013 में लादू वल्द लिछमण कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2018–2021 में लादू पुत्र लिछमण कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2026–2029 में मगना बन्ना मेवा पि. लादू जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2033–2036 खसरा नम्बर 36 रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा में मगना बना मेवा पि. लादू कौम जाट सा. देह खातेदार व खसरा नम्बर 36 मि. रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा गै.मु.सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज है। सम्वत 2042–2045 में खसरा नम्बर 36 रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा में मगना बना मेवा पि. लादू कौम जाट सा. देह खातेदार व खसरा नम्बर 36मि. रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा गै.मु.सड़क पी.डब्ल्यू.डी. दर्ज है। नकल खतौनी सन 2007 ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 63, 64, 65, 66 कुल रकबा 8.75 हैक्टर में बना हि. 1/3 मेवा हि. 1/3 पि. लादू भंवरलाल पुत्र मगना हि.1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सन 2007 पालड़ी के खसरा नम्बर 13, 15, 16, 18 कुल रकबा 6.42 हैक्टर में रामेश्वर पुसाराम पि. बोदूराम कौम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 17 रकबा 0.36 हैक्टर में चेनाराम पुत्र मांगीलाल श्रवणराम पुत्र रतनाराम जाति जाट सा. मीठड़ी खातेदार दर्ज है इनके द्वारा बेचान करने पर अन्य खातेदारो के नाम भूमि दर्ज हुई है। खसरा नम्बर 11 रकबा 0.32 हैक्टर गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 53 रकबा 6.78 हैक्टर गै.मु.सड़क सा.नि.वि. P.W.D. राज. सरकार ना.सं.114 दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2050–2053 पालड़ी के खसरा नम्बर 17, 63, 64, 65, 66 कुल रकबा 9.11 हैक्टर में बना हि. 1/3 मेवा हि. 1/3 पि. लादू भंवरलाल पुत्र मगना हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2058–2061 पालड़ी के खसरा नम्बर 63, 64, 65, 66 कुल रकबा 8.75 हैक्टर में बना हि. 1/3 मेवा हि. 1/3 पि. लादू भंवरलाल पुत्र मगना हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2058–2061 में खसरा नम्बर 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2008–2027 एवं 2046–2065 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2010–2013, 2018–2021, 2026–2029, 2033–2036, 2042–2045, 2050–2053, 2058–2061 एवं पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल दिनॉक 23.06.207 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की नकल गत एवं नवीन, मिलान क्षेत्रफल की नकल, नामा.सं. 16, 20 की नकल, पर्चा लगान की नकल, प्रार्थना–पत्र श्रीमान ए.एस.ओ.साहब नावां को प्रस्तुत 10.10.87 की नकल, बेचान दस्तावेज दिनॉक 5.7.07 की नकल, चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 की प्रस्तुत हुई।

वकील प्रतिवादी पूसाराम रामेश्वर के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रतिवादी रामेश्वर के मृतक की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब अवसर चाहा गया, पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब अवसर बन्द किया गया। मौखिक साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य अवसर भी बंद किया गया।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 9 से नवीन खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 कायम हुए है, गत खसरा नम्बर 36 से नये खसरा नम्बर 17, 63, 64, 65, 66 कायम हुए है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2007 ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 36 रकबा 60 बीघा 19 बिस्वा में लादू वल्द लिछमण जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2010–2013 में लादू वल्द लिछमण कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2018–2021 में लादू पुत्र लिछमण कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2026–2029 में मगना बन्ना मेवा पि. लादू जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2033–2036 खसरा नम्बर 36 रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा में मगना बना मेवा पि. लादू कौम जाट सा. देह खातेदार व खसरा नम्बर 36 मि. रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा गै.मु.सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज है। सम्वत 2042–2045 में खसरा नम्बर 36 रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा में मगना बना मेवा पि. लादू कौम जाट सा. देह खातेदार व खसरा नम्बर 36मि. रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा गै.मु.सड़क पी.डब्ल्यू.डी. दर्ज है। नकल खतौनी सन 2007 ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 63, 64, 65, 66 कुल रकबा 8.75 हैक्टर में बना हि. 1/3 मेवा हि. 1/3 पि. लादू भंवरलाल पुत्र मगना हि.1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सन 2007 पालड़ी के खसरा नम्बर 13, 15, 16, 18 कुल रकबा 6.42 हैक्टर में रामेश्वर पुसाराम पि. बोदूराम कौम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 17 रकबा 0.36 हैक्टर में चेनाराम पुत्र मांगीलाल श्रवणराम पुत्र रतनाराम जाति जाट सा. मीठड़ी खातेदार दर्ज है इनके द्वारा बेचान करने पर अन्य खातेदारो के नाम भूमि दर्ज हुई है। खसरा नम्बर 11 रकबा 0.32 हैक्टर गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 53 रकबा 6.78 हैक्टर गै.मु.सड़क सा.नि.वि. P.W.D. राज. सरकार ना.सं.114 दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2050–2053 पालड़ी के खसरा नम्बर 17, 63, 64, 65, 66 कुल रकबा 9.11 हैक्टर में बना हि. 1/3 मेवा हि. 1/3 [illegible] भंवरलाल पुत्र मगना हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल [illegible] 2061 पालड़ी के खसरा नम्बर 63, 64, 65, 66 कुल रकबा 8.75 हैक्टर में ब[illegible] /3 पि. लादू भंवरलाल पुत्र मगना हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खत[illegible] सम्वत 2058–2061 में खसरा नम्बर 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03.14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.36 हैक्टर चेनाराम पुत्र मांगीलाल श्रवणराम पुत्र रतनाराम जाति जाट सा. मीठड़ी खातेदार ना. स. 89 प्रविष्टि दर्ज है। नामा. सं. 16 अनुसार गत खसरा नम्बर रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा बारानी प्रथम कॉलम संख्या 7 में बोदूराम पुत्र भागीरथ रामेश्वर पुत्र बोदूराम कोम गुजर 25 बीघा भंवरसिंह प्रेमसिंह व फतेहसिंह पि. भोपालसिंह कौम राजपूत 6 बीघा 10 बिस्वा सा. देह खातेदार दर्ज है तथा कॉलम सं. 9 में रामेश्वर पुसाराम पि. बोदूराम गुजर 25 बीघा प्रेमसिंह फतेहसिंह पि. भोपालसिंह कौम राजपूत 6 बीघा 10 बिस्वा सा. देह खातेदार दर्ज है तथा कॉलम सं. 10 में खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 कुल रकबा 5.10 हैक्टर अंकित है, गत खसरा नम्बर 10 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा में रामेश्वर पुसा पि. बोदूराम रामेश्वर पुत्र बोदूराम कौम गुजर सा. दे खातेदार ब.हि.ब. नये खसरा नम्बर 18 रकबा 2.41 हैक्टर में रामेश्वर पुसाराम पि. बोदूराम कौम गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है उक्त नामा. खातेदार बोदूराम पुत्र मांगूराम के फौत होने पर भरा गया है। नामा.सं. 20 दिनॉक 13.10.87 अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर 59, 81, 14 116 117 447/81, 448/59, 13, 15, 16 का विभाजन होकर अलग अलग खातेदारी दर्ज हुइ, जिसमें प्रेमसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के खसरा नम्बर 59, 81, 14 कुल रकबा 3.93 हैक्टर, फतेहसिंह पुत्र भोपालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के खसरा नम्बर 116, 117, 47/81, 448/59 कुल रकबा 3.93 हैक्टर, रामेश्वर पुसाराम पि. बोदूराम कौम गुजर सा. देह खातेदार के खसरा नम्बर 13, 15, 16 कुल रकबा 4.01 हैक्टर दर्ज है। पर्चा लगान में पालड़ी के खसरा नम्बर 17, 63, 64, 65, 66 कुल रकबा 9.11 हैक्टर में बन्ना हि. 1/3 मेवा हि. 1/3 पि. लादू भंवरलाल पुत्र मगना हि. 1/3 कोम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। सहायक अभिलेख एवं भू प्रबन्ध अधिकारी नावां (दक्षिण) के समक्ष प्रस्तुत बंटवारा प्रार्थना–पत्र 10.10.87 में रामेश्वर पूसाराम प्रेमसिंह फतेहसिंह के प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही कर उनका कब्जा काश्त मानते हुए बंटवारा स्वीकार कर पृथक–पृथक खातेदार दर्ज हुई है। बेचान दस्तावेज दिनॉक 02.07.2007 अनुसार बनाराम पुत्र लादूराम जाट पालड़ी द्वारा अपना हक हिस्सा खसरा नम्बर 63, 64, 65, 66 में से कमलादेवी पत्नि घनश्याम अग्रवाल रीना पत्नि योगेश अग्रवाल नि. मीठड़ी को बेचान कर दिया है। वर्तमान जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 15, 16 कुल रकबा 0.33 हैक्टर पुसाराम पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/2 जाति गुजर सा. देह खातेदार रामेश्वर पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/2 जाति गुजर सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 63, 64 कुल रकबा 2.7863 भंवरलाल पुत्र मगना हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 65 रकबा 2.94 हैक्टर अनुजअनिलकुमार पुत्र अनिलकुमारशाह हिस्सा 1/2 जाति जैन सा. कांसाग्राण्ड फलेट नं. 2108 टावर 2 सेनापति बापत मार्ग लावर पारले मुम्बई खातेदार अमृताअनुज शाहपत्नि अनुजशाह हिस्सा 1/2 जाति जैन सा. कांसाग्राण्ड फलेट नं. 2108 टावर 2 सेनापति बापत मार्ग लावर पारले मुम्बई दर्ज है। खसरा नम्बर 66 रकबा 2.70 हैक्टर में कमला पत्नि घनश्याम अग्रवाल हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. मीठड़ी खातेदार रीना पत्नि योगेश कुमार हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. मीठड़ी खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 67 रकबा 0.14 हैक्टर पुसीदेवी पत्नि मोहनराम पिता मोती हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा. पावटा तह. डीडवाना खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified

उपरोक्त प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नम्बर 15, 16 की भूमि पुसाराम रामेश्वर गुर्जर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है, मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 9 से ही नये खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 बने है तथा गत खसरा

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 36 के नये खसरा नम्बर 17, 63, 64, 65, 66 बने है जिनका रकबा 9.11 हैक्टर दर्ज होकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के खातेदारी दर्ज चली आई है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी बनाराम के हक हिस्से मे 60 बीघा 19 बिस्वा में शेष रही भूमि 56 बीघा 7 बिस्वा की लगभग 9.11 हैक्टर भूमि बनती है, उपरोक्त खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 गत खसरा नम्बर 9 का ही भाग है जिसकी पुष्टि उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल एवं नामान्तरकरण सं. 16 एवं 20 से भी होती है, तत्कालीन खातेदार प्रेमसिंह फतेहसिंह एवं रामेश्वर पूसाराम के मध्य बंटवारा होकर अलग अलग खसरा नम्बर कायम हुये है, जिससे साबित होता है कि वादीगण का उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 15, 16, पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण ने उपरोक्त खसरा 15, 63, 64, 16, 65, 17, 66 का बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है जबकि वर्तमान जमाबंदी मुताबिक वे खातेदार काश्तकार ही दर्ज नही है वर्तमान जमाबंदी उपरोक्तानुसार प्रविष्टियॉ अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज चली आ रही है। जब वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम वादग्रस्त भूमिया ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है तो बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा का अनुतोष किस प्रकार दिया जा सकता है ? इस प्रकार उपलब्ध राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि से वादीगण के विरूद्व दर्ज प्रविष्टियो से वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से वाद वादी साबित नही होता है। वाद वादीगण साबित नही होने से काबिल खारिज पाया गया।

आदेश

वाद वादगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

निर्णय आज दिनॉक 28/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज,(R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 231/2008 RCMS 2008/00092

वादीगण :–

1. मेवाराम पुत्र लादूराम जाट निवासी पालड़ी तह. कुचामन (फौत) के कायम मुकाम :–
   1/1–सोनकी देवी पत्नि मेवाराम,
   1/2–बजरंगलाल पनुत्र मेवाराम,
   1/3–बालाराम पुत्र मेवाराम
   1/4–राजूराम पुत्र मेवाराम,
   1/5–सन्तोष पुत्री मेवाराम
2. भंवरलाल पुत्र मंगनाराम जाति जाट निवासी पालड़ी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. पूसाराम पुत्र बोदूराम गुर्जर निवासी पालड़ी
2. रामेश्वर पुत्र बोदूराम गुर्जर (फौत) के कायम मुकाम :– निवासी पालड़ी
   2/1– नानूड़ी पत्नि रामेश्वर, 2/2– भंवरलाल पुत्र रामेश्वर, 2/3– ईशवरराम पुत्र रामेश्वर
   2/4– नरसीराम पुत्र रामेश्वर, 2/5– मनीदेवी पुत्री रामेश्वर
3. बनाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
5. उप पंजियक कुचामनसिटी
6. कमलादेवी पित्न घनश्याम अग्रवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर
7. रीना पत्नि योगेश कुमार अग्रवाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर

दावा– इस्तकरार हक भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री रामेश्वरलाल नेहरा, श्री रणवीर कुमावत, श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया, श्री देवीसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 08 सन् 2023 को जारी की गई।

दस्तखत........................

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:14 IST
Reason: SelfAttested